न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

दायरा दिनांक : 18.08.2022

अपील संख्या 2022 / 135

उनवान

1. जगदीश पुत्र जानकीलाल, जाति धाकड, निवासी केवडा, तहसील अन्ता, जिला बारां राज0
2. रामचन्द्र पुत्र जानकीलाल, जाति धाकड, निवासी केवडा, तहसील अन्ता, जिला बारां राज0
3. दिनेश पुत्र जानकीलाल, जाति धाकड, निवासी केवडा, तहसील अन्ता, जिला बारां राज0

.... अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अन्ता, जिला बारां राजस्थान

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 225
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री ओम भारद्वाज अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री ललित नागर पैरोकार सरकार

निर्णय **दिनांक : 16.05.2025**

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अन्ता के प्रकरण संख्या – 14/2018 निर्णय दिनांक 25.05.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण अपीलांट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 92ए, व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम केवडा, तहसील अन्ता, जिला बारां में खाता संख्या नया 292 पुराना 274 खसरा नं. 167 रकबा 5.13 हेक्टर, खसरा नं. 167/937 रकबा 0.17 हेक्टर, खसरा नं. 170/981 रकबा 0.31 हेक्टर कुल किता 3 रकबा 5.61 हेक्टर भूमि स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अन्ता ने अपने निर्णय दिनांक 25.05.2018 से केस सिक्यूरिटी पर कब्जा रखे जाने के आदेश पारित किये जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.05.2018 न्याय कानून एवं तथ्यो के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट/प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे एक वाद/प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का पेश किया था कि ग्राम केवडा, तहसील अंता, जिला बारां के खाता संख्या नया 292 पुराना 274 की आराजी खसरा नं. 167 रकबा

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

5.13 हेक्टेयर खसरा नं. 167/937 रकबा 0.17 हेक्टेयर खसरा नं. 170/981 रकबा 0.31 हेक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 5.61 हेक्टेयर भूमि स्थित है जिस पर अपीलांटगण काबिज काश्त चले आ रहे हैं। अपीलांटगण के पिता कई वर्षों से इस भूमि पर काश्त करते चले आ रहे हैं तथा पिता की मृत्यु के बाद से ही तथा पिता के समय से ही राज्य सरकार द्वारा इस भूमि को मंदिर श्री कल्याणराय जी बारां के नाम गलत रूप से दर्ज कर दिया तथा राज्य सरकार का शासन सचिवालय से दिनांक 24.05.2007 को आदेश जारी कर ऐसी भूमियों को जो मंदिर माफी जागीरदारी में थी जिसको पूर्व स्थिति में करने के आदेश प्रदान किये इसी प्रकार राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा भी दिनांक 06.01.2010 को परिपत्र दिनांक 4–3(2) 06/2007/14 दिनांक 24.05.2007 को समुचित पालना के संदर्भ में इसी प्रकार का परिपत्र जारी किया है कि मंदिर की आराजी को पूर्व स्थिति में कर दिया जाये तथा कब्जा यथावत रखा जाकर प्रार्थीगण से केस सिक्यूरिटी लेकर कब्जा रखने का आदेश फरमावे। ततपश्चात अप्रार्थी/ रेस्पोन्डेन्ट द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत कर वर्ष 2015–16, 2016–17, 2017–18 तीन वर्षों की औसत बोली का कुल योग 92000/– रूपये बताया तथा इस स्थिति अनुसार 1500/– रूपये से 2500/– रूपये प्रति बीघा अमानत राशि कायम की जा सकती है, का जवाब प्रस्तुत किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार करने में गंभीर कानूनी त्रुटि की है इस कारण उक्त निर्णय विधि के प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तत्कालीन समय पर लगाई जा रही बोली से लगभग दुगुनी राशि केस सिक्यूरिटी के रूप में अपीलांट के ऊपर अधिरोपित की है उक्त राशि से अपीलांटगण संतुष्ट है परन्तु प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत राशि जोड़ने का आदेश गलत रूप से पारित किया गया है जिससे प्रतिवर्ष अपीलांटगण को काफी रकम जमा करानी पड़ती है तथा उक्त आराजियात के आस पास ही अन्य मंदिर माफियों की भूमियों पर केस सेक्यूरिटी 600–700/– रूपये प्रति बीघा के हिसाब से काश्त होती आ रही है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के 2500/– रूपये प्रति बीघा प्रतिवर्ष तहसीलदार अंता के न्यायालय में जमा कराने को तैयार है परन्तु 10 प्रतिशत अमानत राशि में वृद्धि गैर कानूनी रूप से जोड़ी गई है तथा उपरोक्त आराजियात कोरवान जमीने होने के कारण उनसे उतनी उपज प्राप्त नहीं होती है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांटगण स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.05.2018 को अपास्त किया जाकर इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे कि उपरोक्त वर्णित आराजियात में प्रतिवर्ष की गई 10 प्रतिशत वृद्धि को निरस्त फरमाकर शेष आदेश यथावत रखा जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 21.07.2022 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में हमने दावा किया है जिसके निर्णय दिनांक 25.05.2018 के विरूद्ध हमने अपील प्रस्तुत की है। वादग्रस्त आराजी जैली के रूप में हमारे नाम दर्ज चली आ रही है। 1991 में राज्य सरकार के परिपत्र मन्दिर के नाम वादग्रस्त आराजी दर्ज हुई है। तहसीलदार ने केस सिक्यूरिटी 1500/– से 2500/– रूपये प्रति बीघा और प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत वृद्धि का आदेश पारित किया है। हमें 2500/– रूपये प्रति बीघा केस सिक्यूरिटी से कोई आपत्ति नहीं है परन्तु 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष वृद्धि की शर्त से आपत्ति है। 10 प्रतिशत की शर्त अवैध है यह न्यायालय का विवेकाधिकार है नियम नहीं है। अतः अपील स्वीकार की जावे और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। दौराने बहस लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 92 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व अन्तर्गत धारा 212 (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम केवडा, तहसील अन्ता, जिला बारां के खाता संख्या नया 292 पुराना 274 कुल किता 3 रकबा 5.61 हेक्टेयर भूमि स्थित है। जिस पर वादीगण कब्जा काश्त करते चले आ रहे हैं। प्रार्थीगण के पिता कई वर्षो से इस भूमि को काश्त करते चले आ रहे हैं तथा पिता की मृत्यु के बाद प्रार्थीगण को परेशानी आ रही है। प्रार्थीगण के पिता के समय ही राज्य सरकार द्वारा इस भूमि को मन्दिर श्री कल्याणराय जी बारां के नाम दर्ज कर दी जो कानूनी रूप से गलत दर्ज किया गया है। गलत तौर पर मन्दिर श्री कल्याणराय जी बारां के नाम सेटलमेंट द्वारा दर्ज कर दी गई है।

राज्य सरकार का शासन सचिवालय में दिनांक 24.05.2007 को आदेश जारी कर ऐसी भूमियों को जो मन्दिर माफी, जागीरदारी में थी जिसको पूर्व स्थिति में करने के आदेश प्रदान किये, इसी प्रकार राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा भी दिनांक 06.01.2010 को परिपत्र दिनांक 4–3 (2) 06/2007/14 दिनांक 24.05.2007 को समुचित पालना में संदर्भ में इसी प्रकार का परिपत्र जारी किया है कि मन्दिर की आराजी को पूर्व स्थिति में कर दिया जावे तथा कब्जा यथावत रखा जाकर प्रार्थीगण से केस सिक्युरिटी लेकर कब्जा रखने का आदेश फरमावें।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि आराजी वाके ग्राम केवडा, तहसील अन्ता, जिला बारां के खाता संख्या नया 292 पुराना 274 कुल किता 3 रकबा 5.61 हेक्टेयर भूमि का तहसीलदार अन्ता अप्रार्थी को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि आराजी को मुनाफा काश्त पर नहीं जुपावें, प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलादांजी नहीं करें, विकल्प में प्रार्थीगण के कैस सिक्यूरिटी अप्रार्थी के पास जमा करवाकर ताफैसला कब्जा करने का आदेश फरमावें।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

वाद पर अप्रार्थी तहसीलदार अन्ता द्वारा सभी मद अस्वीकार करते हुये विशेष आपत्तियां दर्शायी गयी जो निम्न प्रकार है –

1. आंशिक स्वीकार वादीगण का कब्जा काश्त न होकर हर वर्ष मुनाफा काश्त की बोली पुकरवाई जाती है ।
2. अस्वीकार उक्त भूमि माफी मन्दिर श्री कल्याणराय जी बारां के खाते दर्ज है।
3. अस्वीकार प्रत्येक वर्ष मुनाफा काश्त पर भूमि की निलामी काश्त हेतु की जाती है।
4. अस्वीकार भूमि वर्तमान रेकॉर्ड में माफी मन्दिर श्री कल्याणराय जी के खाते दर्ज है मूर्ति मन्दिर शाश्वत है ।
5. अस्वीकार
6. आंशिक स्वीकार, गत तीन वर्षों का औसत बोली निम्न प्रकार है :–

वर्ष	**2015–16**	**2016–17**	**2017–18**	**कुल 92000**
बोली राशि	28000/–	31000/–	33000/–	औसत 3 = 31000/–रुपये

वर्ष 2018–19 में भी बोली 34000/– रूपये रही है ।

अतः इस स्थिति के अनुसार प्रति वर्ष 1500/– रूपये से 2500/– रुपये प्रति बीघा अमानत राशि कायम की जा सकती है तथा प्रत्येक वर्ष 10 प्रतिशत अमानत राशि में वृद्धि किया जाना आवश्यक है।

7. स्वीकार है क्योंकि माफी मन्दिर की भूमि को पुजारी के खाते दर्ज नहीं की जा सकती है।
8. अस्वीकार
9. न्यायालय से संबंधित है ।
10. न्यायालय का क्षेत्राधिकार है।

वादीगणों का वाद अस्वीकार है क्योंकि माफी मन्दिर की भूमि मूर्ति शाश्वत होने से किसी अन्य या पुजारी के खाते दर्ज नहीं की जा सकती है। अतः अमानत पर पुजारी को काश्त करने हेतु बाजार दर को देखते हुए 1500/–रूपये से 2500/– रूपये के बीच दिया जाना उचित होगा। इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वकील प्रार्थी व पेरोकार सरकार की बहस पर मनन करते हुये दिनांक 25.05 2018 को यह निर्णय पारित किया कि चूंकि खातेदार मूर्ति कल्याणरायजी शाश्वत नाबालिग है। अतः केस सिक्यूरिटी प्रार्थीगण का कब्जा रखा जाना उचित है क्योंकि प्रार्थी के अधिकार दावे में ही तय होंगे। अतः प्रार्थीगण 2500/–अक्षरे दो हजार पांच सो रूपये प्रति बीघा प्रति वर्ष केस सिक्यूरिटी जमा करा देवे तो विवादित आराजी ग्राम केवडा, तहसील अन्ता खाता संख्या नया 292 पुराना 274 कुल किता 3 रकबा 5.61 हेक्टेयर भूमि पर अपना कब्जा बनाये रख सकेंगे। प्रार्थीगण को आदेश दिये जाते हैं कि प्रतिवर्ष 30 जून तक उक्त विवादित आराजी की अमानत राशि 2500/– प्रति बीघा प्रतिवर्ष तहसीलदार अन्ता के न्यायालय जमा

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

करा दे तो कब्जा काश्त बनाये रखेगें। तहसीलदार अन्ता को निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक वर्ष 10 प्रतिशत अमानत राशि में वृद्धि कर जमा करवायी जावे। उक्त अवधि तक केस सिक्यूरिटी जमा नहीं कराने पर अप्रार्थी पूर्वानुसार मुनाफा काश्त की कार्यवाही कर सकेंगें।

अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्धारित की गयी 2500/- रुपये प्रति बीघा की अमानत राशि तहसीलदार अन्ता के न्यायालय में जमा कराने को तैयार है किन्तु इस राशि में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि करने के निर्णय के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की है।

अधीनस्थ न्यायालय में पेरोकार सरकार द्वारा गत 3 वर्षों का निम्न प्रकार बोली विवरण प्रस्तुत किया गया है :-

वर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	कुल 92000/-
बोली राशि	28000/-	31000/-	33000/-	औसत 3 = 31000/- रुपये

उपरोक्तानुसार प्रति वर्ष की बोली में लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। अतः राजहित में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय उचित एवं विधि सम्मत होने के कारण यथावत रखना उचित रहेगा। अपील सारहीन होने के कारण खारिज योग्य है।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया । हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण अपीलांटस् द्वारा एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 92 व 108 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश कर कथन किया है कि ग्राम केवडा तहसील अंता जिला बारां के खाता संख्या नया 292 पुराना 274 खसरा नं. 167 रकबा 5.13 हैक्टर, खसरा नं. 167/937 रकबा 0.17 हैक्टर, खसरा नं. 170/981 रकबा 0.31 हैक्टर कुल किता 3 रकबा 5.61 हैक्टर भूमि स्थित है। जिस पर वादीगण कब्जे काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण के पिता के समय ही राज्य सरकार द्वारा इस भूमि को मंदिर श्री कल्याणराय जी बारां के नाम दर्ज कर दिया गया जो कानूनी रूप से सेटलमेंट द्वारा गलत दर्ज किया गया हैं।

इस सन्दर्भ में वादीगण अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया कि आराजी वाके ग्राम केवडा तहसील अंता की कुल किता 3 रकबा 5.61 हैक्टर भूमि के सन्दर्भ में तहसीलदार अंता अप्रार्थी को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि आराजी को मुनाफा काश्त से नहीं जुपावे, प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

दखलादांजी नहीं करें, विकल्प में प्रार्थीगण से केस सिक्यूरिटी अप्रार्थी के पास जमा करवाकर ताफैसला कब्जा करने का आदेश फरमाये। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में अप्रार्थी तहसीलदार अंता द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें मुख्य रूप से अंकित किया गया कि भूमि वर्तमान रिकॉर्ड में माफी मन्दिर श्री कल्याणराय जी के खाते दर्ज है, मूर्ति मन्दिर शाश्वत है। गत तीन वर्षों की औसत बोली निम्न प्रकार है, वर्ष 2015–16 = 28000/–रूपये, वर्ष 2016–17 = 31000/–रूपये, वर्ष 2017–18 = 33000/–रूपये तीन वर्ष की कुल बोली राशि 92000/–रूपये अर्थात 31000/– रूपये औसत तथा इस वर्ष 2018–2019 में भी बोली 34000/– रूपये रही है। अतः इस स्थिति के अनुसार प्रतिवर्ष 1500/– रूपये से 2500/– रूपये प्रति बीघा अमानत राशि कायम की जा सकती है तथा प्रत्येक वर्ष 10 प्रतिशत अमानत राशि में वृद्धि किया जाना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय ने पैरोकार सरकार तहसीलदार अन्ता द्वारा प्रस्तुत जवाब व उभयपक्ष की बहस सुनने के पश्चात अपने निर्णय दिनांक 25.05.2018 से आदेश दिया कि प्रार्थीगण प्रतिवर्ष 30 जून तक उक्त विवादित आराजी की अमानत राशि 2500/– रूपये प्रति बीघा प्रतिवर्ष तहसीलदार अंता के न्यायालय जमा करादे तो कब्जा काश्त बनाये रखेंगे। तहसीलदार अंता को निदेशित किया जाता है कि प्रत्येक वर्ष 10 प्रतिशत अमानत राशि में वृद्धि कर जमा करवायी जावे। उक्त अवधि तक केस सिक्यूरिटी जमा नहीं कराने पर अप्रार्थी पूर्वानुसार मुनाफी काश्त की कार्यवाही कर सकेंगे।

अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 25.05.2018 से अप्रसन्न होकर वादीगण अपीलांट द्वारा इस न्यायालय में अपील पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तत्कालीन समय पर लगाई जा रही बोली से लगभग दुगुनी राशि केस सिक्यूरिटी के रूप में अपीलांट के ऊपर अधिरोपित की है उक्त राशि से अपीलांटगण संतुष्ट है परंतु प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत राशि जोडने का आदेश गलत रूप से पारित किया गया है जिससे प्रतिवर्ष अपीलांटगण को काफी रकम जमा करानी पडती है तथा उक्त आराजियात के आस पास ही अन्य मंदिरमाफियों पर केस सिक्युरिटी 600–700 रूपये प्रतिबीघा के हिसाब से काश्त होती आ रही है। अतः आराजियात में प्रतिवर्ष की गई 10 प्रतिशत वृद्धि को निरस्त फरमाकर शेष आदेश यथावत रखा जावे।

हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न तहसीलदार की रिपोर्ट का अवलोकन किया। तहसीलदार की रिपोर्ट में अंकित किया कि माफी मंदिर की भूमि मूर्ति शाश्वत होने से किसी अन्य या पुजारी के खाते दर्ज नहीं की जा सकती है। अतः अमानत पर पुजारी को काश्त करने हेतु बाजार दर को देखते हुए 1500/–रूपये से 2500/– रूपये के बीच दिया जाना उचित होगा। तथा प्रत्येक वर्ष 10 प्रतिशत अमानत राशि में वृद्धि किया जाना आवश्यक है। तहसीलदार द्वारा प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह विधिसम्मत होने के कारण हम इसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.05.2018 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16/05/2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा